

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम/विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम, अम्बेडकरनगर।

CNR NO-UPAN010026102020

विद्युत वाद संख्या-298/2020

सरकार

बनाम

विन्देश्वरी सिंह आदि

मु0अ0सं0-40/2019

धारा-138(1)बी विद्युत अधिनियम

थाना-इब्राहिमपुर

जिला-अम्बेडकरनगर

03.04.2026

पत्रावली पेश हुई। **प्रार्थी रोशनलाल** द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-152 विद्युत अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था। शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण शुल्क जमा कर दिया गया है। अतः मुकदमा समाप्त किया जाय। विद्वान अधिवक्ता विद्युत विभाग द्वारा यह कथन किया गया कि सम्पूर्ण भुगतान हो चुका है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में जमा विद्युत बिल की रसीदे व अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड **टाण्डा** अम्बेडकरनगर द्वारा निर्गत पत्र दिनांकित **07.03.2025** की प्रति प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार अभियुक्त **रोशनलाल** द्वारा शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है तथा वाद को समाप्त करने की याचना की गयी है। धारा 152 विद्युत अधिनियम अपराधों के समाधान से सम्बंधित है तथा यह प्रावधान करती है कि यदि अपराध के समाधान के रूप में धनराशि जमा कर दी गयी है तो किसी भी विचारण न्यायालय में उपभोक्ता अथवा व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही संस्थित अथवा जारी नहीं की जायेगी। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा श्री दिनेश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में यही आदेश किया गया है। चूंकि इस प्रकरण में विभाग द्वारा शमन शुल्क व निर्धारण शुल्क लिया जा चुका है तथा विद्वान अधिवक्ता विद्युत विभाग द्वारा इस तथ्य को तस्दीक किया गया है। अतः उसके विरुद्ध प्रस्तुत यह अभियोग विचारण योग्य नहीं है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग समाप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **रोशनलाल** के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग धारा-152 विद्युत अधिनियम के तहत समाप्त किया जाता है।

दिनांक-03.04.2026

(रामविलास सिंह)

अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम/

विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम

अम्बेडकर नगर ।

जे.ओ.कोड नम्बर-यू.पी.6067